भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1458

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

नेशनल ग्रीन हाइवे पॉलिसी

1458. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रीन हाइवे पॉलिसी लागू होने के बाद से काटे और उखाड़े गए वृक्षों की संख्या और इसी अवधि के दौरान इस नीति के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) लगाए जाने वाले पौधों की संख्या और कवर किए जाने वाले राजमार्गों की लंबाई और लगाए गए पौधों की वास्तविक संख्या और कवर किए गए राजमार्गों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के अंतर्गत लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर और उनके राष्ट्रीय औसत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजमार्गों के विस्तार के लिए इस नीति के अंतर्गत लगाए गए पेड़ों की कटाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस नीति के अंतर्गत केवल संबंधित क्षेत्र की मूल प्रजातियों को ही लगाया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास के लिए न्यूनतम संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है।

हरित राजमार्ग नीति 2015 और आईआरसी-एसपी-21-2009 के अनुसार काटे गए पेड़ों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है और 2015-2016 से वर्षवार लगाए गए पेड़ों का विवरण **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(ख) वार्षिक वृक्षारोपण कार्य योजनाओं के निर्माण के माध्यम से प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लगाए जाने वाले पौधों की संख्या और कवर किए जाने वाले राजमार्गों की लंबाई के लक्ष्य मध्य भाग (मीडियन) में रोपण योग्य भूमि की उपलब्धता और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए,

61.86 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 31 जनवरी, 2025 तक, लक्ष्य से अधिक कुल 67.14 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

(ग) अनुबंध समझौते के अनुसार पेड़ों और झाड़ियों की खराब होती स्थिति, प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले पेड़ों और झाड़ियों आदि दोष/कमी को ठीक करने की जिम्मेदारी संविदाकार की है और इसे फील्ड इकाइयों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हरित राजमार्ग नीति के तहत लगाए गए पौधों की राज्यवार जीवित रहने की दरें **अनुबंध-III** में दी गई हैं।

(घ) एनएच विनिर्देशों के अनुसार सड़क के चौड़ीकरण/उन्नयन के दौरान, परिधीय/आरओडब्ल्यू के अंतर्गत चिह्नित पेड़ों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार और संबंधित वन विभाग की सहायता से काटा जाता है।

(ङ) लगाई गई प्रजातियां आईआरसी:एसपी :21-2009 और हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति 2015 के अनुरूप हैं। इन दिशानिर्देशों में अधिकतम अस्तित्व और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कृषि-जलवायु दशाओं, मिट्टी के प्रकार और पारिस्थितिक उपयुक्तता के आधार पर पौधों की प्रजातियों का चयन अनिवार्य किया गया है।

अनुबंध ।

"नेशनल ग्रीन हाइवे पॉलिसी" के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1458 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2020-21 से 2023-24 के दौरान काटे गए पेड़ों की संख्या

क्र. सं.	**क्षेत्रीय कार्यालय**	**काटे गए पेड़ों की संख्या**
1	कर्नाटक	539,086
2	मध्य प्रदेश	158,463
3	ओडिशा	577,794
4	चंडीगढ़ (हरियाणा)	213,697
5	चंडीगढ़ (पंजाब)	311,019
6	तमिलनाडु	39,542
7	उत्तराखंड	33,991
8	दिल्ली	259,378
9	गुजरात	761,282
10	असम	94,849
11	तेलंगाना	39,852
12	मध्य प्रदेश	154,293
13	राजस्थान	61,177
14	जम्मू और कश्मीर	113,825
15	पश्चिम बंगाल	144,626
16	तमिलनाडु	79,807
17	महाराष्ट्र	162,382
18	महाराष्ट्र	289,001
19	बिहार	158,103
20	छत्तीसगढ़	208,199
21	झारखंड	105,753
22	हिमाचल प्रदेश	82,265
23	केरल	68,916
24	उत्तर प्रदेश	195,798

25	उत्तर प्रदेश	345,776
26	आंध्र प्रदेश	108,433
27	मणिपुर	1,17,812
28	नागालैंड	74,453
29	त्रिपुरा	31,655
30	अरुणाचल प्रदेश	44,180
31	मेघालय	19,530
32	मिजोरम	38,764
33	सिक्किम	76,893

अनुबंध II

"नेशनल ग्रीन हाइवे पॉलिसी" के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1458 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	**राज्य**	**3 वर्षों का संचयी वृक्षारोपण (2015-16 से 2017-18) (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2018-19 में वृक्षारोपण (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2019-20 में वृक्षारोपण (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2020-21 में वृक्षारोपण (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2021-22 में वृक्षारोपण (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2022-23 में वृक्षारोपण (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2023-24 में वृक्षारोपण (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**	**2024-25 में वृक्षारोपण (31 जनवरी 2025 तक) (एवेन्यू तथा मध्य भाग में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में)**
1	आंध्र प्रदेश	6.34	1.47	4.8	3.01	1.67	1.58	1.14	2.11
2	असम	1.01	0.73	0.04	2.55	1.73	0.93	2.74	1.32
3	बिहार	1.62	0.64	0.93	0.72	2.03	2.12	2.38	3.35
4	छत्तीस गढ़	2.02	0.86	0.54	1.18	1.02	1.33	1.17	1.05
5	दिल्ली	0.5	5.5	0.02	2.13	9.50	3.44	3.60	8.95
6	गुजरात	4.96	0.65	1.06	2.78	2.38	4.51	3.69	5.34
7	हरियाणा	6.46	4.25	0.28	2.52	1.59	2.19	2.98	5.59
8	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.08	0.23	0.68	0.71	0.82	0.32	0.62
9	जम्मू	0.41	0.38	0.06	0.13	0.47	0.87	0.87	1.17

	और कश्मीर								
10	झारखंड	1.32	0.86	0.26	1.16	2.53	1.07	0.92	1.01
11	कर्नाटक	7.51	1.75	3.73	3.51	3.73	2.86	2.23	2.79
12	केरल	0.9	0.24	0.15	0.33	0.24	0.16	0.18	0.03
13	मध्य प्रदेश	0.49	2.31	5.3	3.94	5.77	10.18	7.04	8.49
14	महाराष्ट्र	7.46	0.64	4.62	4.22	7.97	6.04	5.25	3.98
15	ओडिशा	2.91	2.04	1.73	2.90	3.78	3.40	2.68	2.53
16	पंजाब	3.98	0	1.98	4.81	2.96	2.45	2.33	4.36
17	राजस्थान	8.1	1.52	2.07	4.79	9.45	12.46	8.10	4.19
18	तमिल नाडु	6.44	1.82	2.92	2.86	2.47	2.55	2.62	4.16
19	तेलंगाना	3.09	0.18	0.59	3.27	2.18	2.74	0.74	0.71
20	उत्तर प्रदेश	6.74	3.8	3.56	6.31	5.41	6.27	4.81	3.36
21	उत्तराखंड	0	0.52	0.15	2.10	2.12	1.23	0.56	0.39
22	पश्चिम बंगाल	3.85	1.03	1.2	3.04	2.38	2.37	1.87	1.16
23	त्रिपुरा	**0**	**0**	0.0515	0.0164	0.042	0.0027	0.0552	0.00538
24	मणिपुर	0	0	0	0.10973	0.0255	0.02957	0.01891	0.07833
25	नागालैंड	0	0.00	0	0	0.1391	0.27508	0.3422	0.33118
26	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0.0018
27	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0.00548
28	सिक्किम	0	0	0	0	0.03355	0.026	0	0

अनुबंध III

"नेशनल ग्रीन हाइवे पॉलिसी" के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1458 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राजमार्गों के किनारे लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर		
क्र. सं.	राज्य	जीवित रहने की दर %
1	आंध्र प्रदेश	82.25%
2	असम	82.02%
3	बिहार	76.41%
4	छत्तीसगढ़	86.91%
5	दिल्ली	81.34%
6	गुजरात	83.15%
7	हरियाणा	86.97%
8	हिमाचल प्रदेश	90.63%
9	जम्मू और कश्मीर	80.30%
10	झारखंड	73.06%
11	कर्नाटक	83.93%
12	केरल	91.50%
13	मध्य प्रदेश	82.16%
14	महाराष्ट्र	84.85%
15	ओडिशा	76.08%
16	पंजाब	87.60%
17	राजस्थान	75.35%
18	तमिलनाडु	79.00%
19	तेलंगाना	93.35%
20	उत्तर प्रदेश	83.42%
21	उत्तराखंड	93.15%
22	पश्चिम बंगाल	80.45%
23	मणिपुर	90%
24	नागालैंड	70%
25	त्रिपुरा	70%

*****